

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: प्रपत्र – 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक रसायन विज्ञान स्कूल शिक्षा को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	विषय	विद्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	SANTOSH TANTIYA	CHEMISTRY	Office of the District Institute for Education and Training, District- BIKANER	10-07-1961	31-07-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(सौरभ स्वामी)

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/से.नि./2019-20 दिनांक : 24/03/21  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग।
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक से स्टाम्प पर न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को पंजीकृत डाक से अविलम्ब भिजवावें।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर